



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- सी सं० - 1660 वर्ष 2026

जगत सिंह तथा 4 अन्य

..... याची(गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य तथा 14 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : अरविन्द कुमार तिवारी

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं० - 6

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. उ०प्र० भू राजस्व संहिता 2006 की धारा 207 के अधीन कार्यवाहियों अपील/मामला सं० 58 वर्ष 2025 (कम्प्यूटरीकृत मामला सं० सी20256000000058) में अपर आयुक्त (प्रशासन) झांसी मण्डल झांसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 04-06-2025 को वर्तमान याचिका में चुनौती दिया गया है।
2. आज जब मामले को उठाया जाता है, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रारंभिक आक्षेप उठाया गया है कि पूर्वोक्त आदेश के विरुद्ध, याची को द्वितीय अपील दाखिल करने का कानूनी आनुकल्पिक उपचार प्राप्त है जैसा उ०प्र० भू राजस्व संहिता, 2006 की धारा 208 के अन्तर्गत उपबंधित है, इसलिए वर्तमान याचिका पोषणीय नहीं है।
3. आनुकल्पिक उपचार के उपलब्धता के दृष्टिगत, वर्तमान याचिका को खारिज किया जाता है।
4. रजिस्ट्री को उपर्युक्त की छायाप्रति रखने के पश्चात आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति वापस करने का निदेश दिया जाता है।

जनवरी 21, 2026

(प्रकाश पाड़िया,

न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"